227/NIC
25/5/17

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड

जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्याः–.......27......./2017

सरकार के प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार रॉची के पत्र संख्या 04/आ0 प्र0 (विविध)–17/2014–05 (आ0) आ0 प्र0 रॉची दिनांक 24/04/2017 व्दारा मूख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अधिसूचित प्राकृति आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/आश्रितों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य आपदा मोचन निधि (S.D.R.F) से उपायुक्त को कुल 3,15,000.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त है एवं राशि की निकासी हेतू स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित वजट शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

बजट शीर्ष	आवंटित राशि
मूख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मूख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –102– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष–01– विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय– 2245–80–102–01–07–59 (...) विपत्र कोड–3S224580102010759.	3,15,000.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार) रूपये मात्र
कुल तीन लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र	3,15,000.00

(3) कुल प्राप्त आवंटन 3,15,000.00 (तीन लाख पन्द्रह हजार) रूपये मात्र को अंचल अधिकारीयों को आवंटित राशि की निकासी हेतू निम्न प्रकार राशि का उपआवंटन किया जाता है।

क्र0 सं0	अंचल का नाम	उपावंटित राशि
1	दुमका	35,000.00
2	जमा	35,000.00
3	जरमुंडी	35,000.00
4	मसलिया	30,000.00
5	रामगढ	30,000.00
6	रानेष्वर	30,000.00
7	षिकारीपाड़ा	30,000.00
8	काठीकुंड	30,000.00
9	गोपीकाण्डार	30,000.00
10	सरैयाहाट	30,000.00
कुल तीन लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र		3,15,000.00

(4) यह आवंटन विभागिय संकल्प संख्या–604 दिनांक 18/05/2015 एवं दिनांक–19.03.2015 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रदान की जा रही है। उक्त संकल्प के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित मामले–सूखा, फसल क्षति, मृत पशुओं के replacement, मत्स्य, Handicrafts/Handloom एवं आधरभूत संरचना को छोड़कर शेष मामले में अंचल अधिकारी आवंटन प्रदान करने हेतु सक्षम प्रधिकार है।

(5) राशि की निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी सम्बन्धित अंचल के अंचलाधिकारी होंगे जिनके द्वारा सम्बन्धित जिला कोषागार से राशि की विधिवत् निकासी की जायेगी।

(6) सभी भुगतान e-KYC/आधार लिंक खाते में ही किया जाय।

(7).(I). सम्बन्धित अंचालाधिकारी क्षतिग्रस्त मकानों की तस्वीर को अभिलेख के साथ संधारित रखेंगे। साथ ही भुगतान के पूर्व क्षतिग्रस्त मकानों के मूल्यांकन एवं क्षति की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे। क्षतिग्रस्त एवं मरम्मत/निर्माण के बाद का ब्योरा तिथि सहित, फोटोयुक्त संधरित करें।

(II). स्थल जाँच करनेवाले कर्मी/पदाधिकारी का नाम/पदनाम अभिलेख में स्थल जाँच तिथि के साथ संधारित रहे।

(III). 5,000/–(पाँच हजार) रूपये तक का भुगतान का सत्यापन पर्यवेक्षक स्तर से तथा असते अधिक 20,000/–(बीस हजार) रूपये तक का अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(8). पक्का मकान के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में भुगतान के पुर्व कम से कम अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से क्षति की जाँच करा ली जायेगी।

(9). सम्बन्धित अंचालाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों (S.D.R.S मानकों) के अनुरूप किया जा रहा है।

(10). आवंटित राशि की निकासी एवं व्याय निर्धारित मद एवं मापदण्डें के अनुसार उन्हीं मदेां में किया जायेगा जिसके लिए राशि आवंटित की जा रही है।

(11). भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–33–06/2015–NDM-I, दिनांक–06/05/2015 द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में मदवार एवं आपदावार व्यय का मासिक विवरण विभाग को सम्बन्धित अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(12).(क). (I) मृतक का पोस्मार्टम प्रतिवेदन की अभिप्रमाणित छाया प्रति संधारित किया जाय।

(II) मानव क्षति/विकलांगता का सत्यापन एवं इसके कारण का निर्धारण सक्षम स्तर से किया जाय तथा फोटोग्राफ भी अभिलेख में रखा जाय। सक्षम स्तर मेडिकेल बोर्ड व्दारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(III) आवश्यकतानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभिलेख का अंग होगा।

(IV) प्रारम्भिक सत्यापन न्यूनतम वर्ग–2 पदाधिकारी यथा–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (BDO)/अंचल अधिकारी (CO)/कार्यपालक दण्डाधिकारी (E.M) से होना अनिवार्य रहेगा। यह घटना के 24 घंटे के अंदर पूर्ण होना चाहिए।

(V) Legl Heirs/Successors को हि राशि का भुगतान होना चाहिए।

(VI) अभिलेख में EPIC / आधार / Bank Account का सही ब्यौरा रखना चाहिए।

(ख). (I) इसका ब्यौरा ओनलाइन जिले के वेबसाइट पर रखना चाहिए।

(II) भुगतान घटना के 60 दिन के अंदर अवश्य हेाना चाहिए।

(13). किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं हेाने की स्थिति में राशि प्रत्यार्पण की सूचना 20 मार्च 2017 के पूर्व आँन –लाईन करने का दायित्य अंचल अधिकारी–तथा–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

(14).(i). व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित अंचल अधिकारी, द्वारा उपयेागिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

(ii). स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष / उपमुख्यशीर्ष / लघुशीर्ष / उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(iii). महालेखाकर से मासिक / त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हेागा।

(iv). संबंधित अंचलाधिकारी निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

(15). निकासी एवं व्यायन पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि यदि ऐसी कोइे येाजना का कार्य के विरूद्ध राशि व्याय की जा रही है, जिसे किसी दुसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हेा उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्व सूचना सम्वन्धित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

(16). (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृड़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।

(ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561, दिनांक 17 / 04 / 1998 पत्रांक–2522 / वि0, दिनांक 24 / 10 / 2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–759 दिनांक 20 / 03 / 2015 का पालन अक्षरशः पालन किया जाय।

(ग) कोषागार संहिता / झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग व्दारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

(घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त / वित्त (वाणिज्यकर) / आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्त्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(ङ) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।

(17). प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तो का अक्षरश : पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/–

उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांकः–................................/ आ0 प्र0 के0, दुमका दिनांक :–................/ 05 / 2017

प्रतिलिपीः– सभी अंचल अधिकारी, दुमका / कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाइे हतू प्रेषित।

ह०/–

उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांकः–................................/ आ0 प्र0 के0, दुमका दिनांक :–................/ 05 / 2017

प्रतिलिपीः–आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांकः–................................/ आ0 प्र0 के0, दुमका दिनांक :–................/ 05 / 2017

प्रतिलिपीः– सरकार के सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॉची, झारखण्ड / सरकार के प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांकः–................................/ आ0 प्र0 के0, दुमका दिनांक :–................/ 05 / 2017

प्रतिलिपीः– महालेखाकर रॉची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांकः–.........106.........../ आ0 प्र0 के0, दुमका दिनांक :–.......18......../ 05 / 2017

प्रतिलिपीः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

उपायुक्त,
दुमका